>

Title: Need to levy tax of ten paisa per unit for power generated by Hydro-electric projects in Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हिमाचल प्रदेश को जलविद्युत परियोजना में बनने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने वाले विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय और सीमावर्ती प्रांत है, इसमें मुख्य रूप से जलविद्युत और वन सम्पदा ही हमारे यहां मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश की सरकार की ओर से प्रेषित किया गया। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी। उक्त रिपोर्ट को योजना आयोग ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं. 17/2/91 - एफ आर, दिनांक 20-01-1993 द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी।

महोदया, हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी प्रकार की खनिज सम्पदा नहीं है। वहां केवल जल एवं वन ही मुख्य खनिज सम्पदा के रूप में विद्यमान हैं। यदि इनके नियमानुसार दोहन पर भी जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देगी, तो प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। हिमाचल प्रदेश ने स्वयमेव यह निर्णय लिया है कि वन-वर्धन (सिल्वीकलचर) हेतु अथवा सिलैक्टिव साइंटिफिक फैलिंग के अंतर्गत भी वनों को बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश संपूर्ण इंडो-गैंजेटिक प्लेन की पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इस कारण प्रति वर्ष उसे हजारों करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन देश के स्वास्थ्य और विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

महोदया, मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं में पैदा की जाने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको श्री वीरेन्द्र कश्यप के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।